कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांकः F-37/Dir(P)/LOP/2016/ 772

दिनांक :– 08/8/16

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 20.07.2016 के कार्यवाही विवरण

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक श्री कैलाश चन्द मीणा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2016 को अपरान्ह 03:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :–

1. श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य
2. श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य
3. श्री मानाराम पटेल, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य
4. श्री हनुमानमल ढाका, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य
5. श्री विरेन्द्र सिंह चौधरी, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य
6. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य
7. श्री संदीप दंडवते, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य सचिव

उक्त सदस्य गण के अतिरिक्त श्री दलवीर सिंह, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधुर, श्री इन्द्रजीत, सहायक नगर नियोजक एवं श्री सैयद वसीम अख्तर, सहायक नगर नियोजक उपस्थित हुए।

समिति के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा जोन पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण की जोनवार सूची अनुसार निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. मास्टर प्लान, 2023 में अधिसूचित नगरीय क्षैत्र 72 ग्राम से बाहर के निम्न प्रकरण कृषि भूमि रुपान्तरण/नियमन हेतु प्राप्त हुए है, जो निम्नानुसार है –

जोन – पूर्व के प्रकरणों की सूची :–

क्र.सं.	प्र.सं.	आवेदक	ग्राम	खसरा सं.	रकबा	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित प्रयोजन
1	105	श्री मुक्तेश्वर पुत्र श्री बाबुलाल भील	जालेली फौजदारा	50/6	6 बीघा	फार्म हाऊस
2	174	श्रीमती लूणकी पत्नी श्री मिश्रीराम जरिये आम–मुख्त्यार गोकुलराम	डांगियावास	102/2	3 बीघा	फार्म हाऊस
3	2	श्रीमती कमली पत्नी स्व. मुकनाराम मेघवाल वगैरह	कांकेलाव	561	02–02 बीघा	फार्म हाऊस
4	4	श्री हीराराम पुत्र श्री बस्तीराम	पालासनी	277	12 बीघा में से 1469.44 वर्गगज	पैट्रोल पम्प
5	19	श्रीमती कोयली पत्नी श्री छोगाराम मेघवाल	दांतीवाड़ा	429/2	4 बीघा	फार्म हाऊस
6	10	श्री श्रवण गोधा पुत्र श्री ओमाराम	कांकेलाव	419/1	4 बीघा	फार्म हाऊस

7	11	श्री भंवरलाल व जगदीश पि. श्री पोलाराम	डोलिया	28	21–14 बीघा में से 2 बीघा	फार्म हाऊस
8	18	श्री पपूराम पुत्र श्री गोपालराम विश्नोई	रसीदा	116, 8/2	15–15 बीघा	फार्म हाऊस
9	20	श्री तेजाराम गोदारा पुत्र श्री सरदारराम	जालेली चम्पावता	52/3	1544.79 वर्गगज	पैट्रोल पम्प
10	7	श्री शिवलाल पुत्र श्री सोनाराम	खाराबेरा पुरोहितान्	228/2	02–01 बीघा	पैट्रोल पम्प

जोन पश्चिम के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	नाम व पिता/पति का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन
1	9/12	श्री गोवरराम पुत्र श्री सुखाराम	इन्द्रोका	47	83.17 बीघा	फार्म हाउस
2	46/13	श्री राजूराम, रतनराम पुत्र श्री भंवरलाल जी	मोकलावास	274/5	4 बीघा	फार्म हाउस
3	101/14	श्रीमती चिडी देवी पत्नी श्री छैलाराम जी	चैनसिंह नगर	237/7, 237/12	6.10 बीघा	फार्म हाउस
4	110/14	श्री सुखाराम पुत्र सदाराम व श्री बाबुलाल पुत्र श्री लूकाराम	तिंवरी	30/7	3.9 बीघा	कृषि आधारित उघोग
5	113/14	श्री किस्तुराम पुत्र श्री राणाराम जी	खाटावास	403	11 बीघा	फार्म हाउस
6	131/15	श्री गोकूल कन्नोजिया पुत्र श्री शिवचरण	केरू	1212/1	3.11.0 बीघा	फार्म हाउस
7	133/15	श्री तेजाराम पुत्र श्री मालाराम जी	जाखडों की ढाणी	315/5	1289.46 व.ग.	पैट्रोल पम्प
8	134/15	श्री करनाराम मेघवाल पुत्र देवाराम जी	आगोलाई	746/2	1 बीघा	कृषि आधारित उघोग
9	135/15	श्री सफी खां पुत्र श्री अमीन खां	लोरड़ी देजगरा	116/2	934.95 बीघा	कृषि आधारित उघोग
10	138/15	श्री विमला देवी पत्नी श्री मनोहरलाल जी	बम्बोर दर्जियान्	8/2	3 बीघा	पैटोल पम्प
11	139/15	श्रीमती सुरभि देवी पत्नी नन्दकिशोर	सिन्धीयों की ढाणी	255/4	4.10 बीघा	कृषि आधारित उघोग
12	142/15	श्री भीखाराम पुत्र श्री धीसाराम जी	सीरोडी	56	5.13.10 बीघा	फार्म हाउस

जोन उत्तर के प्रकरणों की सूची :–

क्र.सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन
1	24/11	श्रीमती लता पत्नी श्री भगतसिंह	नेतडा	357	17.8	फार्म हाउस
2	123/14	श्री कालुलाल मीणा पुत्र श्री धन्ना मीणा वगैरह	भवाद	689/2, 689/17	10.11.17	आवासीय एकल

2

3	124/14	श्री रूपचन्द समदडिया पुत्र श्री केवलचन्द	भवाद	689/5/1, 689/22/1	6.18	आवासीय एकल
4	127/14	श्री हेमाराम पुत्र कानाराम जी	मणाई	223/4	8.05	फार्म हाउस
5	129/14	श्री पुनी देवी पत्नि सुखराम जी विश्नोई	नेतडा	854/69	25	वेयर हाउस प्रयोजनार्थ
6	133/14	श्री भीयाराम पुत्र श्री बींजाराम	गंगाणी	1247	10.05	फार्म हाउस
7	138/14	श्री कोजाराम, अशोक कुमार पुत्र श्री जगरूपराम	जाजीवाल गहलोतान्	182/1	5.15	फार्म हाउस
8	143/14	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री नानकराम	थबुकडा	69/5	16	फार्म हाउस
9	147/14	श्री पुखराज देवडा पुत्र श्री प्रेमाराम जी	मणाई	165/1	3	कृषि आधारित उद्योग
10	152/14	श्री संवाईराम पुत्र श्री हड़ताराम	उजालिया	175/3, 180/3	5.13	फार्म हाउस
11	153/15	श्री बीलाराम पुत्र श्री रूपाराम भील	संत कृपाराम नगर	485/1, 485/2	23.04	फार्म हाउस
12	158/15	श्री रमेश पुत्र श्री बाबुलाल	नेतडा	854/113	2.04	कृषि आधारित उद्योग
13	159/15	श्री जगदीश पुत्र श्री नैनाराम जी	नेतडा	854/117	2.02	कृषि आधारित उद्योग
14	160/15	श्री नैनाराम पुत्र श्री भोमाराम	नेतडा	854/100	2.04	कृषि आ. उद्योग
15	161/15	श्री बाबुराम पुत्र श्री उम्मेदराम	नेतडा	854/122	2.04	कृषि आ. उद्योग
16	162/15	श्री कोजाराम पुत्र श्री चित्राराम	नेतडा	854/119	2.04	कृषि आ. उद्योग
17	163/15	श्री रावलराम पुत्र श्री अकाराम जी	नेतडा	854/116	2.02	कृषि आ. उद्योग
18	164/15	श्री अनिल पुत्र श्री भंवरलाल	नेतडा	854/112	2.04	कृषि आ. उद्योग
19	165/15	श्री हेमाराम पुत्र श्री घेवरराम	नेतडा	854/111	2.04	कृषि आ. उद्योग
20	166/15	श्री प्रेमाराम पुत्र श्री घेवरराम	नेतडा	854/114	2.04	कृषि आ. उद्योग
21	167/15	श्री बींजाराम पुत्र श्री सेसाराम	नेतडा	854/118	2.02	कृषि आ. उद्योग
22	168/15	श्री चुनाराम पुत्र श्री मोहनलाल	नेतडा	854/34	2.04	कृषि आ. उद्योग
23	169/15	श्री भंवरलाल पुत्र श्री रूघाराम	नेतडा	854/101	2.02	कृषि आ. उद्योग
24	170/15	श्री बाबुलाल पुत्र श्री ढलाराम	नेतडा	854/120	2.04	कृषि आ. उद्योग
25	171/15	श्री त्रिलोक पुत्र श्री नैनाराम	नेतडा	854/115	2.02	कृषि आ. उद्योग
26	172/15	श्री कोजाराम पुत्र श्री ढगलाराम	नेतडा	854/121	2.04	कृषि आ. उद्योग
27	173/15	श्री मोहनराम पुत्र श्री लुम्बाराम जी	भैसेर कुतडी	114/3, 116/46, 116/17/1, 116/24, 116/200	28	फार्म हाउस
28	174/15	श्रीमती नर्मदा देवी पत्नि श्री फूसाराम	मथानिया–II	35/20	3	कृषि आधारित उद्योग
29	177/15	श्री बंशीलाल पुत्र श्री मानाराम	सेवा गांव	139/16	2500 व.मी.	कृषि आ. उद्योग
30	178/15	श्री बंशीलाल पुत्र श्री मानाराम	सेवा गांव	139/16	18948.30 व.मी.	फार्म हाउस
31	182/15	श्री श्रवणंराम पुत्र बींजाराम	जाजीवाल भाटियान	78/7	8	फार्म हाउस
32	183/15	श्री बस्तीराम पुत्र लाबूराम	मेलावास	95	2.19	कृषि आ. उद्योग
33	184/15	श्रीराम पुत्र कोजाराम	मेलावास	95/1	1.1	कृषि आ. उद्योग
34	190/16	श्री प्रकाश पुत्र खेताराम	सालवा कलां	20/3	2	फार्म हाउस

35	148/14	श्री रामजीवन व विष्णु प्रकाश पुत्र श्री रणछोड़दास	मणाई	215/1/2, 232.233/1/1	35 बीघा	फार्म हाउस

उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 473–474 दिनांक 28.10.2015 द्वारा नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 25.04.2016 एवं 23.05.2016 के क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक 620 दिनांक 23.06.2016 द्वारा वांछित सूचना प्रेषित की गई है, मार्गदर्शन प्राप्त होना अपेक्षित है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त ही तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। अतः प्रकरण लम्बित रखे जावे एवं तदनुसार प्रार्थीयों को सूचित किया जावें।

2. निम्नांकित प्रकरणों में वांछित सूचना यथा– विस्तृत सर्वे प्लान, सुपर इम्पोज ले–आउट प्लान, तरमीम सुदा नक्शा, प्रारूप–7, गुगल, भू–उपयोग इत्यादि दस्तावेजों की पूर्ति अपेक्षित है –

जोन–पूर्व के प्रकरणों की सूची :–

क्र.सं.	प्र.सं.	आवेदक	ग्राम	खसरा सं.	रकबा	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित प्रयोजन
1	35	श्री रूपाराम पुत्र श्री अजाराम	खारड़ा रणधीर	135/77	2–09 बीघा	होटल
2	37	श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाराम	खारड़ा रणधीर	135/77/1, 135/77/4	5–02 बीघा	वेयर हाउस
3	87	श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह जरिये आम मुख्त्यार श्री बींजाराम वगैरह	झालामण्ड	765, 765/1, 765/2, 765/3	22–19 बीघा	फार्म हाऊस
4	90	श्री दुदाराम पुत्र श्री गोकुलराम वगैरह	झालामण्ड	749, 749/1	23–18 बीघा	फार्म हाऊस
5	170	श्री बिरमाराम पुत्र श्री सुखाराम	नान्दड़ा खुर्द	129/1	4–15 बीघा	फार्म हाऊस
6	124	मैसर्स भीष्म एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. जरिये नरेश जाजड़ा पुत्र बालकिशन	गुड़ा विश्नोईयां	190/1/मी., 191, 191/1	30–03 बीघा	फार्म हाऊस
7	125	मैसर्स भीष्म एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. जरिये नरेश जाजड़ा पुत्र बालकिशन	गुड़ा विश्नोईयां	184, 184/1, वगैरह	37 बीघा	फार्म हाऊस
8	126	मैसर्स भीष्म एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. जरिये नरेश जाजड़ा पुत्र बालकिशन	गुड़ा विश्नोईयां	761/721, वगैरह	70–08–10	फार्म हाऊस
9	93	श्रीमती बिरजुदेवी पत्नी श्री बींजाराम वगैरह	उचियारड़ा	32/4, 32/5, वगैरह	12 बीघा	फार्म हाऊस
10	128	सिल्वर लाइन बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री अचलसिंह	बासनी बैंदा	54/1	7–10 बीघा	आवासीय

11	129	सिल्वर लाइन बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री अचलसिंह	बासनी बैंदा	54/1/3	7–10 बीघा	आवासीय
12	130	सिल्वर लाइन बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री अचलसिंह	बासनी बैंदा	54/1/1	7–10 बीघा	आवासीय
13	131	सिल्वर लाइन बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री अचलसिंह	बासनी बैंदा	54/1/4	4–16–16 बीघा	आवासीय
14	109	श्री मदनलाल पुत्र श्री रूघाराम वगैरह	खारड़ा रणधीर	41/1, 41/3	6–13 बीघा	आवासीय
15	169	श्रीमती मगन जैन पत्नी श्री विनयकुमार	जोधपुर	632/11	12–17–14 बीघा	ग्रुप हाउसिंग
16	12	श्रीमती पानकी उर्फ पानीदेवी पुत्नी श्री डूंगरराम	खारड़ा रणधीर	121	28 बीघा में से 9–19–19 बीघा	फार्म हाऊस

जोन–पश्चिम के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	नाम व पिता/पति का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन
1	73/13	लालाराम पुत्र श्री कोजाराम जी	नारनाड़ी	82/1/4 नया 86/6	3.12 बीघा	फार्म हाउस
2	94/13	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री डूगरराम जी	बांगा	303	21 बीघा 13 बिस्वा	आवासीय
3	112/14	बाबु खां, हनीफ खां, पुत्रान् सुमेर खां	गंगाणा	51/1, 52	11 बीघा	आवासीय
4	129/15	गुलाबराम पुत्र लुम्बाराम जी	बुझावड़	6/4	3 बीघा	फार्म हाउस

जोन–दक्षिण के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/ बिस्वा)	प्रयोजन	मास्टर प्लान में भू–उपयोग
1	102/13	सनसिटी स्पोर्टस व रिसोट्स जरिये डा.रामचन्द्र तोलानी	पाल	316/47 316/56317/1	15 बीघा	रिसोट्स	—
2	195/13	श्रीमती चुकीदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश सरगरा व श्री नत्थाराम पत्नी श्री उदाराम मेघवाल	तनावडा	65/3, 66/3, 65/2	8 बीघा	आवासीय	—

3	202/13	श्रीमती बुध्दीदेवी पत्नी श्री भुराराम व संतोक पत्नी श्री अन्नाराम	बोरानाडा	276/1	2 बीघा 10 बिस्वा	आवासीय	—
4	49/14	श्री ढलाराम, पुखराज, धनराज पुत्र श्री दुर्गाराम	पाल	177/3	01 बीघा 01 बिस्वा	आवासीय एकल पट्टा	—
5	21/15	श्री रेशमराम पुत्र श्री रामाराम मेघवाल	पाल	350	02 बीघा 05 बिस्वा	आवासीय	आवासीय

अतः उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये —

1. ऐसे प्रकरण जिनमें जोन से वांछित पूर्ति करवायी जानी अपेक्षित है, में वांछित पूर्ति किये जाने हेतु संबंधित जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त पूर्ति उपरान्त प्रकरण की पत्रावली आयोजना शाखा में प्रेषित की जावें।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक के स्तर पर पूर्ति की जानी अपेक्षित हो तो, वांछित पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित किया जावें।
3. उक्त समस्त प्रकरणों में वांछित पूर्ति होने पर आयोजना शाखा द्वारा प्रकरण की तकनीकी जांच कर आगामी ले—आउट प्लान समिति प्रस्तुत किया जावे एवं जिन प्रकरणों में भू—उपयोग की जांच नहीं की जा सकी, उन प्रकरणों में प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग, मास्टर प्लान के भू—उपयोग के अनुरूप नहीं होने पर आवेदक को सूचित किया जावें।

3. निम्न प्रकरणों में आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू—उपयोग से भिन्न है —

जोन—पूर्व के प्रकरणों की सूची :—

क्र.सं.	प्र.सं.	आवेदक	ग्राम	खसरा सं.	रकबा	प्रस्तावित प्रयोजन	मास्टर प्लान में उपयोग
1	34	श्रीमती सुशीला पत्नी श्री मदनलाल	खारड़ा रणधीर	136/77 मि.	7 बीघा	शैक्षणिक	परिधी नियंत्रण पट्टी
2	36	श्री पुखराज पुत्र श्री रूपाराम	खारड़ा रणधीर	135/77/3	2—09 बीघा	होटल	परिधी नियंत्रण पट्टी
3	40	श्रीमती आनन्द भूतड़ा पत्नी श्री सोहन भूतड़ा वगैरह	उचियारड़ा	127/3	10 बीघा	शैक्षणिक	परिधी नियंत्रण पट्टी
4	97	श्री राधाकृष्ण उर्फ राधेश्याम पुत्र प्रतापराम	उचियारड़ा	84/1, 84/2	29—10 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
5	100	मैसर्स पी.एस.के. प्रोपर्टीज प्रा.लि. जरिये डा. श्री पुरूषोत्तमदास लीला पुत्र श्री बनवारीलाल	उचियारड़ा	78, 79	20—16 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
6	101	श्री बलवन्तराम पुत्र श्री रामचन्द्र	उचियारड़ा	88, 88/1, 88/2, वगैरह	33—04 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी

7	102	मैसर्स पी.एस.के. प्रोपर्टीज प्रा.लि. जरिये डा. श्री पुरूषोत्तमदास लीला पुत्र श्री बनवारीलाल	उचियारड़ा	66मी., 71/2, 72/1, 73 मी., 73	17—02 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
8	114	श्री घवेरराम पुत्र श्री हमीरराम वगैरह	सोढेर की ढाणी	243, 245/2	8 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
9	99	श्री राधाकृष्ण उर्फ राधेश्याम पुत्र प्रतापराम	उचियारड़ा	87, 87/1, 87/2	35—05 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
10	112	श्री अवधेशसिह पुत्र श्री श्यामसिंह वगैरह	नान्दड़ा कला	248/1/1, 248/1/2, 248/1/3	20 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
11	149	श्री तुलसीदास गंगवानी पुत्र श्री दीपचंद	बासनी बैंदा	65	1 बीघा	आवासीय	वेयर हाउस एवं गोदाउन्स
12	150	श्री विनोद जौहरी पुत्र श्री किशनलाल	बासनी बैंदा	65	1 बीघा	आवासीय	वेयर हाउस एवं गोदाउन्स
13	151	श्री मगराज कुमावत पुत्र श्री चतुराराम	बासनी बैंदा	65	1—05—04 बीघा	आवासीय	वेयर हाउस एवं गोदाउन्स
14	143	श्री भागीरथ पुत्र स्व. मोहनराम वगैरह	नान्दड़ा कला	186/4	11—12 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
15	144	श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोड़राम	नान्दड़ा कला	186/3	11—12 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
16	146	श्री रामनिवास, श्रीमति मंजू वगैरह	झालामण्ड	776/1, 776/1 मि.	9—14 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
17	147	श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री राजीव कुमार	झालामण्ड	281/1	02—14—04 बीघा	आवासीय	ओ.सी.एफ.
18	145	श्री खीमाराम पुत्र श्री रूपाराम वगैरह	बनाड़	311/11	10 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
19	1	श्री किशनगोपाल कट्टा वगैरह	नान्दड़ा कलां	266, 266/1	46—05 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
20	148	श्रीमती सायर कंवर पत्नी श्री गणपतसिंह	बनाड़	322	10 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
21	158	श्री ओमाराम पुत्र श्री तुलसीराम	झालामण्ड	767/1 मीन	06—12—10 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
22	159	श्री राणाराम पुत्र श्री खेमाराम	झालामण्ड	767/1 मीन 3	6—15 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
23	155	श्री राजीव अरोड़ा पुत्र श्री के.के. अरोड़ा	गुड़ा विश्नोईयां	31/5	5 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
24	181	श्री चेतनराम पुत्र श्री तेजाराम	उचियारड़ा	77	11—03 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
25	178	श्री नजीर खां पुत्र श्री जीवण खां	बनाड़	563/1	8 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
26	9	श्रीमती हेमकंवर पत्नी श्री दलपतसिंह राठौड़	श्रीयादे गांव	95/1	3 बीघा	शैक्षणिक	परिधी नियंत्रण पट्टी

27	15	श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री बस्तीराम, श्री दीनाराम पुत्र श्री जगाराम वगैरह	बनाड़	418/5	16–10 –16 बीघा	आवासीय	परिधी नियंत्रण पट्टी
28	17	श्री राजेशसिंह शेखावत पुत्र श्री नारायणसिंह	बनाड़	581	3 बीघा	आवासीय एकल	परिधी नियंत्रण पट्टी
29	16	श्री गजेन्द्र प्रसाद दिवाकर पुत्र श्री मिश्रीलाल दिवाकर	बनाड़	581	3 बीघा	आवासीय एकल	परिधी नियंत्रण पट्टी

जोन–पश्चिम के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	नाम व पिता/पति का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन	मास्टर प्लान में भू–उपयोग
1	96/14	ज्योति मिर्धा व हेमस्वेता मिर्धा	सूंथला	74 से 77, 80, 82, 90	10.0.5 बीघा	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी (हिली एण्ड रोकी,)
2	98/14	राजेन्द्र कुम्भट पुत्र श्री भवंरलाल जी वगैराह	सूंथला	64 से 77	15.13.10 बीघा	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी (हिली एण्ड रोकी,)
3	100/14	श्री संजय भण्डारी, मोहनलाल वगैराह	नारनाड़ी	251/4	9.13 बीघा	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी
4	102/14	श्रीमती नारानी देवी पत्नी श्री जोगाराम जी	बांगा	336/12	1.5 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड	परिधि नियन्त्रण पट्टी
5	104/14	श्रीमती गेरकी पत्नी चूतराराम जी	बांगा	335	11.15.12 बीघा	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी
6	109/14	रजनी पत्नी श्री कुन्दनमल भावनानी वीणा पत्नी प्रकाश जी	बासनी सिलावटा	93/75, 94/75	6.10 बीघा	आवासीय	आंशिक वाणिज्यिक एवं परिधि नियन्त्रण पट्टी
7	125/15	खींवराज, हीरालाल, जसाराम पुत्र श्री भूराराम जी	डोली	746/1	10.9 बीघा	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी

जोन–उत्तर के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन	मास्टर प्लान में भू–उपयोग
1	13/12	श्री रमेश रामनानी पुत्र नेनमल जी, वगैरह	बोरावास	267	14.18	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी
2	111/13	श्री राणाराम पुत्र श्री तिलाराम	दईजर	204/1	10	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी

3	146/14	श्री भवराराम पुत्र श्री सूरजाराम	दईजर	177/4/2	12.11	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी
4	134/14	श्री राणाराम पुत्र श्री तिलाराम	दईजर	204/2	12.09	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी

जोन–दक्षिण के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/ बिस्वा)	प्रयोजन	मास्टर प्लान में भू–उपयोग
1	182/13	मैसर्स प्रेस्टीज सिटी डवलपर्स प्रा.लि. जरिये श्री मोहन सिंह सांजू	मौगडा कला	177/1, 185	12 बीघा 02 बिस्वा 08 बिस्वांसी	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी
2	23/14	श्रीमती मीना बोरड पत्नी श्री नरेन्द्र बोरड व मैसर्स कवाल प्रो. एक्सपोर्टस जरिये भागीदार श्रीमती मीना बोरड पत्नी श्री नरेन्द्र बोरड	मोगडा कला	129/3, 129/1	21 बीघा 13 बिस्वा	आवासीय एकल पट्टा	परिधि नियन्त्रण पट्टी
3	30/14	श्री सुरेन्द्र जांगीड व श्री संदीप जांगिड पुत्र श्री पूनाराम जांगिड	बासनी बाघेला	67/13 से 67/18	2 बीघा 2 बिस्वा 19 बिस्वांसी	आवासीय	परिधि नियन्त्रण पट्टी
4	32/14	श्री विजय भावनानी, दीपक भावानानी, प्रकाश भावनानी पुत्र कुन्दनमल	पाल	166, 166/1	07 बीघा 04 बिस्वा	होटल	आवासीय
5	84/14	मै.पी.एम. इण्डस्ट्रीज जरिये श्री पवन मित्तल पुत्र श्री भंवरलाल मित्तल	सालावास	99/11	05 बीघा 11 बिस्वा	औघोगिक	परिधि नियन्त्रण पट्टी
6	85/14	श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री शंकरलाल नोहरा व श्रीमती मांगीदेवी पत्नी	सालावास	99/12	04 बीघा 15 बिस्वा	औघोगिक	परिधि नियन्त्रण पट्टी
7	86/14	मै.वी.एम. इण्डस्ट्रीज जरिये श्री विष्णु मित्तल पुत्र श्री भंवरलाल	सालावास	99/15	05 बीघा 15 बिस्वा	औघोगिक	परिधि नियन्त्रण पट्टी
8	87/14	श्रीमती ममता बोहरा पत्नी श्री रमेशकुमार बोहरा व श्रीमती शिल्पा जैन पत्नी श्री मुकेशकुमार	सालावास	99/13	03 बीघा 10 बिस्वा	औघोगिक	परिधि नियन्त्रण पट्टी

9	12/15	श्रीमती हीरा पाण्डे पत्नी श्री जगदीश नारायण व श्रीमती ज्योति राठी पत्नी श्री दीपक राठी	जोधपुर	1030 / 740, 1518 / 1030, वगैरह	01.01.15 बीघा	औघोगिक	आवासीय
10	37/15	श्रीमती मधुदेवी पत्नी श्री दिनेश मेघवाल	पाल	537 / 3	11 बीघा 18 बिस्वा	आवासीय	ओ.सी.एफ.
11	79/15	एसपीजे इस्पात इण्डिया प्रा. लि जरिये निदेशक कैलाश कुमार बजाज पुत्र सत्यनारायण	तनावडा	33 / 51	1.12.9 बीघा	औघोगिक	आवासीय
12	80/15	एसपीजे इस्पात इण्डिया प्रा. लि जरिये निदेशक कैलाश कुमार बजाज	तनावडा	33 / 50	2.3.5 बीघा	औघोगिक	आवासीय
13	82/15	खेमचंद खत्री पुत्र धर्मदास खत्री	तनावडा	34 / 33	1.13.18 बीघा	औघोगिक	आवासीय
14	83/15	खेमचंद खत्री पुत्र धर्मदास खत्री	तनावडा	33 / 69	1.5.17 बीघा	औघोगिक	आवासीय

उपरोक्त प्रकरणों में आवेदित प्रयोजन मास्टर प्लान में आरक्षित भू–उपयोग के अनुरूप नहीं होने के कारण तकनीकी दृष्टि से ले–आउट प्लान अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उपरोक्त समस्त प्रकरणों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थीयों को सूचित किया जावे।

4. प्राधिकरण में प्राप्त कृषि आधारित लघु उद्योग प्रयोजनार्थ निम्न प्रकरणों समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये है –

जोन–पश्चिम के प्रकरणों की सूची :–

1	66 / 13	श्रीमती पूनम लूणिया पत्नी श्री जसवन्त राज जी	डोली	748	5.10.5 बीघा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
2	99 / 14	श्री मोहनलाल पुत्र श्री बंशीलाल जी	बडली	559	16 बिस्वा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
3	136 / 15	जितेश महनोत पुत्र जसवंतमल जी	बुझावड	359 / 12	0.16.3 बीघा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
4	143 / 15	मनीला भूतडा पत्नी श्री आनन्द भूतडा	बांगा	306	3 बीघा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी (हिली एण्ड रोकी,)
5	144 / 15	दीपक माहेश्वरी पुत्र श्री ईश्वरलाल जी	बांगा	304 मीन	2 बीघा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी (हिली एण्ड रोकी.)

जोन–दक्षिण के प्रकरणों की सूची :–

क्र. सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन	मास्टर प्लान में भू–उपयोग
1	11277/13	मंजूदेवी पत्नी ओमप्रकाश	सालावास	87/2	1166 वर्गगज	कृषि आ.लघु उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
2	75/14	श्रीमती कौशल्या मनिहार पत्नी श्री ओमप्रकाश मनिहार	सालावास	252/10	03 बीघा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
3	11/16	सुखीदेवी वगेरह	नंदवान	264	1 बीघा	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी

समस्त प्रार्थीगण द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग के प्रकरणों में विशिष्ट प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक से प्रयोजन स्पष्ट किया जाकर आवेदित प्रयोजन कृषि आधारित लघु उद्योग की श्रेणी में आने के संबंध में प्रमाण पत्र लिया जावे तत्पश्चात् प्रकरण जांच उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें। उक्त निर्णय से प्रार्थीयों को सूचित किया जावें।

5. निम्नांकित प्रकरणों में एक ही खसरो को विभिन्न भागों में बाट कर प्रकरण एकल पट्टे हेतु ले–आऊट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुये।

जोन–दक्षिण के प्रकरणों की सूची :–

सूची 'अ' – कृषि आधारित प्रयोजनार्थ

क्र. सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा/बिस्वा)	प्रयोजन	मास्टर प्लान में भू–उपयोग
1	46/14	श्री सतकरण कपूरिया पुत्र श्री खेमराज कपूरिया व श्री राजेन्द्रकुमार पालीवाल पुत्र श्री गोपीकिशन	सालावास	25/35	1 बीघा 5 बिस्वा 5 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
2	53/14	श्रीमती शीतल पत्नी श्री पंकज	सालावास	25/45	02 बीघा 15 बिस्वा 16 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
3	54/14	श्रीमती रीतु पत्नी श्री मनोज	सालावास	25/44	02 बीघा 15 बिस्वा 16 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी

4	55/14	राजकुमारी गुप्ता पत्नी श्री संजयकुमार गुप्ता व श्री अरुणकुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता	सालावास	25/36	01 बीघा 14 बिस्वा 07 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
5	56/14	श्री दाउलाल गाधी पुत्र श्री हंसराज गांधी	सालावास	25/39	01 बीघा 15 बिस्वा 07 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
6	57/14	श्रीमती विमला पत्नी श्री नरसिंहराम	सालावास	25/42	01 बीघा 02 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
7	58/14	श्री नरसिंहराम पुत्र श्री भैरूलाल	सालावास	25/42	18 बिस्वा 12 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
8	59/14	श्रीमती गोपीकिशन राठी पत्नी श्री देवकिशन राठी व श्रीमती उषा मंत्री पत्नी श्री अरविन्द मंत्री	सालावास	25/47	01 बीघा 12 बिस्वा 08 बिस्वांसी	कृषि आधारित उद्योग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
9	62/14	श्री मांगीलाल पुत्र श्री बाबुलाल चौपडा	सालावास	25/41	01 बीघा 08 बिस्वा 18 बिस्वांसी	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
10	63/14	श्रीमती भंवरीदेवी चाण्डक पत्नी श्री कैलाशचन्द्र	सालावास	25/38	01 बीघा 14 बिस्वा 01 बिस्वांसी	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
11	64/14	श्रीमती भंवरीदेवी चाण्डक पत्नी श्री कैलाशचन्द्र	सालावास	25/37	01 बीघा 14 बिस्वा 01 बिस्वांसी	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
12	65/14	श्री जवरीमल चौपडा पुत्र श्री बाबुलाल	सालावास	25/40	18 बिस्वा 12 बिस्वांसी	कृषि आधारित उघोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी

सूची 'ब' – आवासीय प्रयोजनार्थ

13	68/15	जुबेर अहमद पुत्र ईस्माईल अली	पाल	1/11	12 बिस्वा 7.93 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
14	69/15	साजीदा बैग पत्नी ईस्माईल बैग	पाल	1/5	12 बिस्वा 7.93 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय

15	70/15	शाहीदा पत्नी इमरान	पाल	1/17	14 बिस्वा 19.25 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
16	71/15	नवल किशोर सिंहल पुत्र नंदकिशोर	पाल	1/14	13 बिस्वा 11.46 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
17	72/15	फीरोजा बानो पत्नी रमजान अली	पाल	1/9	12 बिस्वा 7.93 बिस्वासी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
18	73/15	नरगीस पत्नी नौसाद खान	पाल	1/2	17.52 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
19	74/15	नाजीया पत्नी सरफराज	पाल	1/4	12 बिस्वा 7.93 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
20	75/15	रमजान अली पुत्र हरजी मोहम्मद बगज	पाल	1/10	12 बिस्वा 7.93 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय
21	76/15	जकी अहमद पुत्र नौसाद अहमद	पाल	1/18	15 बिस्वा 9.2 बिस्वांसी	आवासीय एकल पट्टा	आवासीय

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरणों की सूची 'अ' (1 से 12) के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया

1. एक ही खसरों के हिस्से कर पृथक–पृथक कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रकरण में पृथक–पृथक एकल पट्टे के रूप में ले–आऊट प्लान अनुमोदन किया जाना तकनीकी दृष्टि एवं नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है।
2. संपूर्ण खसरों की एकीकृत कार्यवाही किया जाना उचित होगा वर्तमान में कृषि आधारित लघु उद्योग की योजना हेतु स्पष्ट मानदण्ड यथा न्यूनतम क्षैत्रफल आदि निर्धारित नहीं है। मानदण्ड निर्धारण किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अतः मानदण्ड निर्धारण एवं इनका सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ही उपरोक्त प्रकरणो पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्त अनुसार आवेदको को सूचित किया जावें।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरणों की सूची 'ब' (13 से 21) के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया

3. एक ही खसरों के हिस्से कर पृथक–पृथक आवासीय हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रकरण में पृथक–पृथक एकल पट्टे के रूप में ले–आऊट प्लान अनुमोदन किया जाना तकनीकी दृष्टि एवं नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः आवेदको को निर्धारित मानदण्ड अनुसार एकजाई ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया जावें।

उपरोक्त के बिन्दु संख्या 1 से 5 के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों पर प्रकरणवार विचार–विमर्श कर निम्न अनुसार निर्णय लिये गये।

जोन – पूर्व

1. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680 की रकबा 13 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री छंवरलाल पुत्र श्री अचलाराम।

राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 680 की रकबा 13 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय दर्शित क्षेत्र में स्थित है।

प्रकरण ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03.10.2012 में प्रेषित किया गया था। जिसमें निम्न अनुसार निर्णय लिया गया।

"समिति द्वारा प्रकरण के विचार–विमर्श कर सम्बन्धित अपायुक्त निर्देशित किया गया कि प्रथमतः राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680/1 के पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर प्रकरण पुनः ले--आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।"

समिति द्वारा उपरोक्त प्ररकण की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया अभी तक आवेदक को उक्त निर्णय से सूचित नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय से आवेदक को शीघ्र सूचित किया जावें इस हेतु आयोजना शाखा से पत्र जारी किया जावें।

2. राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 54/2/1, 54/2/3 की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान में संशोधन अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री करण सिंह

राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 54/2/1, 54/2/3 की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अवगत करवाया गया कि प्रकरण पूर्व में अनुमोदित है एवं पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप प्रार्थी द्वारा बाह्य विकास शुल्क जमा नहीं करवाया गया।

समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

- प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क जमा करवाये जाने बाबत् संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
- उपरोक्त शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त प्रकरण को अग्रिम बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

3. राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 54/2/2 की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान में संशोधन अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री करण सिंह

राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 54/2/2 की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है। प्रश्नगत भूमि जोजरी नदी के समीपीय खसरान् में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अवगत करवाया गया कि प्रकरण पूर्व में अनुमोदित है एवं पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप प्रार्थी द्वारा बाह्य विकास शुल्क जमा नहीं करवाया गया। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

- प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रकरण में प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर बाह्य विकास शुल्क जमा करवाये जाने बाबत् आवेदक को सूचित करने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

4. राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 50/2, 50/3, 50/4 की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान में संशोधन अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री करण सिंह

राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 50/2, 50/3, 50/4 की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अवगत करवाया गया कि प्रकरण पूर्व में अनुमोदित है एवं पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप प्रार्थी द्वारा बाह्य विकास शुल्क जमा नहीं करवाया गया।

समिति द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

- प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क जमा करवाये जाने बाबत् आवेदक को सूचित करने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
- उपरोक्त शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त प्रकरण को अग्रिम बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

5. राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 50/5 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा 6 बिस्वान्सी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान में संशोधन अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री करण सिंह

राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 50/5 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा 6 बिस्वान्सी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अवगत करवाया गया कि प्रकरण पूर्व में अनुमोदित है एवं पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप प्रार्थी द्वारा बाह्य विकास शुल्क जमा नहीं करवाया गया। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

- प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रकरण में प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क जमा करवाये जाने बाबत् आवेदक को सूचित करने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

6. राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 11, 13, 79 की रकबा 29.14.08 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री जसवन्तराज जैन।

राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 11, 13, 79 की रकबा 29.14.08 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय अंकित क्षैत्र में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण सारण नगर आर.ओ.बी. के समीपीय खसरान् में स्थित है, जिसके संबंध में अवाप्ति शाखा से रिपोर्ट ली जानी है। उपायुक्त दक्षिण द्वारा अवगत करवाया गया कि भूमि अवाप्ति संबन्धित कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदित भूमि के संबंध में पुनः अवाप्ति रिपोर्ट ली जावें एवं प्रकरण अग्रिम बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

7. राजस्व ग्राम जोधपुर–पूर्व के खसरा नम्बर 632/9 की रकबा 40 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री परिक्षित सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह।

राजस्व ग्राम जोधपुर–पूर्व के खसरा नम्बर 632/9 की रकबा 40 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि जोधपुर–सरदारसमन्द (सोजत) 120' सड़क पर स्थित है। प्रकरण पूर्व जोन के प्रस्ताव संख्या 35 पर समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि के संबंध में राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट लिये जाना अपेक्षित है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्न अनुसार निर्णय लिया गया

- प्रकरण में राजस्व तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावें।
- प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि के संबंध में उड्डयन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया।
- उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

8. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 43/2 की रकबा 10.18 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमति रेखा पत्नि श्री सुरेश।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 43/2 की रकबा 10.18 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय अंकित क्षेत्र में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। प्रकरण में मौके पर एच.टी. लाईन गुजर रही है। जिसके नीचे पार्क प्रस्तावित किया गया है जो तकनिकि दृषि से उचित नहीं है। एच.टी. लाईन की समता के सम्बन्ध में कनिष्ठ अभियन्ता से रिपोर्ट लिया जाना अपेक्षित है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्न अनुसार निर्णय लिया गया

- प्रकरण में कनिष्ठ अभियन्ता से एच.टी. लाईन के समता के सम्बन्ध में रिर्पोट प्राप्त कि जावें।

- ➢ एच.टी. लाईन की समता के अनुसार निर्धारित सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुये संशोधित ले–आऊट प्लान प्राप्त किया जावें।
- ➢ उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।

9. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 44 की रकबा 3 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री मदनलाल पुत्र श्री रूपाराम, जोधपुर।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 44 की रकबा 3 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय अंकित क्षैत्र में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। प्रश्नगत भूमि जोजरी नदी के समीपीय खसरान् में स्थित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में आवेदित भूमि की नियमानुसार तरमीम नहीं करवाई गई है। विधिवत् तरमीम उपरान्त ही प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित है।

अतः समिति द्वारा विधिवत् तरमीम नहीं होने के कारण प्रकरण स्थगित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

10. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 43/1 की रकबा 11 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति पानी देवी पत्नि श्री मदनलाल, जोधपुर।

राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 43/1 की रकबा 11 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षैत्र में स्थित है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है। आयोजना शाखा की तकनिकि रिर्पोट पत्रावली में संलग्न नोट शीट पर उल्लेखित है। उक्त भूमि के समीप अन्य प्रकरण प्राप्त हुये है। सभी प्रकरणों को एकजाई करने के सम्बन्ध में जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि पृथक – पृथक आवेदको के द्वारा पृथक–पृथक आवेदन प्राप्त हुये है। अतः प्रकरणों में पृथक–पृथक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

अतः समिति द्वारा उपायुक्त व आयोजना शाखा की रिर्पोट के आधार पर निम्न शर्तो के साथ ले–आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

- अमिन द्वारा प्रमाणित खसरा सिमाकंन अनुसार बिन्दु संख्या 'ए' से 'डी' के समानान्तर 40 फीट रोड़ दर्शाते हुये एवं 5 प्रतिशत सुविधा क्षैत्र/पार्क का प्रावधान रखते हुये आवेदक से संशोधित ले-आऊट प्लान प्राप्त किया जावें।
- टाऊन पॉलिसी 2010 (10 हैक्टर से कम) के पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- नियमानुसार बाहरी विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होगें।
- जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधान तथा राज्य सरकार समय-समय पर जारी प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टयर तक स्वतन्त्र आवासो की योजनाओ में विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्लयू.एस./एल.आई.जी. आवासो की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।
- पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओ हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे।

उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 42 व 44 की रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमति मैना देवी पत्नि श्री दुर्गाराम वगैरह

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 42 व 44 की रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान-2023 में आवासीय अंकित क्षैत्र में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। प्रश्नगत भूमि जोजरी नदी के समीपीय खसरान् में स्थित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में आवेदित भूमि की नियमानुसार तरमीम नहीं करवाई गई है। विधिवत् तरमीम उपरान्त ही प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित है।

अतः समिति द्वारा विधिवत् तरमीम नहीं होने के कारण प्रकरण स्थगित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

12. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 465/2 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि पर होटल "ईकाई" प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री न्याज मोहम्मद पुत्र श्री मो. सदीक, श्री आर.ए.चौधरी पुत्र श्री मुबारक अली।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 465/2 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान-2023 में होटल जोन क्षैत्र में स्थित है। आवेदित भूमि पुरानी सरदार समन्द रोड़ पर जोजरी नदी

के आगे झालामण्ड जाने वाले राजस्व रास्ते के सामने स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 100' रखा गया।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। प्रकरण पूर्व में दिनांक 01.10.2015 को ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया। जिसमें अवैद्य निर्माण हटाये जाने हेतु सुचित किया जाने का निर्णय लिया गया था।

प्रकरण में सयुक्त मौका निरीक्षण (आयुक्त/निदेशक आयोजना व उपायुक्त) किया गया। आवेदक द्वारा पूर्व निर्णय के क्रम में मौके पर सैटबैक क्षैत्र में अवैध निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया है।

अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदित भूमि पर अवैध निर्माण होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उपरोक्तानुसार अवैध निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपायुक्त/तहसीलदार को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को सूचित किया जावें।

13. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 202, 203/1 की रकबा 4 बीघा 8 बिसवा एवं 3 बिसवासीं पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री मेहता रियल ओम प्रा.लिं. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल मेहता पुत्र श्री एम.सी. मेहता

उक्त प्रकरण जोन से नियोजना शाखा में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जोन से पत्रावली प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम करवाई की जावें।

14. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 202, 203/1 की रकबा 4 बीघा 8 बिसवा एवं 3 बिसवासीं पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री मेहता रियल ओम प्रा.लिं. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल मेहता पुत्र श्री एम.सी. मेहता

उक्त प्रकरण जोन से नियोजना शाखा में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जोन से पत्रावली प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम करवाई की जावें

15. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 160 मीन की रकबा 2 बीघा में से 3858.55 वर्गगज भूमि पर आवासीय एकल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री प्रकाश कच्छावाहा पुत्र श्री भंवरलाल।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 160 मीन की रकबा 2 बीघा में से 3858.55 वर्गगज भूमि पर आवासीय एकल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षैत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि पाली रोड़ से डांगियावास जाने वाली बाईपास 200 की लिंक रोड़ पर स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही

है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। प्रकरण में उक्त भूमि हेतु 40' एप्रौच सड़क प्राप्त नहीं होती है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण निर्धारित पहुंच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर किया जावे।

16. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 470/2, 470/3 की रकबा 05.12.00 बीघा भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति गुलाब राणावत पत्नि श्री अनन्त विजय सिंह।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 470/2, 470/3 की रकबा 05.12.00 बीघा भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में वृक्षारोपण पट्टी, रेवन्यू रास्ता तथा होटल जोन प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि झालामण्ड गांव से जोधपुर बाईपास जाने वाली रोड़ पर स्थित है। प्रश्नगत भूमि जोजरी नदी के समीपीय खसरान् में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आयोजना शाखा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विस्तृत सर्वे प्लान, नदी, आवेदित भूमि, सड़क इत्यादि दर्शाते हुए मय सुपरइम्पोज संलग्न किया जाना आवश्यक बताया गया ताकि प्रकरण की तकनीकी परीक्षण की जा सकें।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया उपरोक्तानुसार पूर्ति कर प्रकरण की तकनीकी परीक्षण किये जाकर आगामी ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति में प्रस्तुत किये जाने बाबत् सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

17. राजस्व ग्राम गुढा विश्नोईयां के खसरा नम्बर 752/17 की रकबा 12.06 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री चेतनराम सरगरा पुत्र श्री नारायण सरगरा।

राजस्व ग्राम गुढा विश्नोईयां के खसरा नम्बर 752/17 की रकबा 12.06 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में परिधि नियन्त्रण पट्टी अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि गुढा विश्नोईयान से कांकाणी जाने वाली रोड़ से मोगड़ा जाने वाली सड़क की लिंक रोड़ पर स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि की नियमानुसार तरमीम नहीं है एवं नियमानुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होता है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रार्थी से तरमीम सुदा नक्शा प्राप्त किया जावें एवं प्रश्नगत भूमि को पहुंच मार्ग की उपलब्धता के संबंध में जांच कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

उक्त निर्णय से प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

18. राजस्व ग्राम गुढा विश्नोईयां के खसरा नम्बर 752/7 की रकबा 08.10 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री चेतनराम सरगरा पुत्र श्री नारायण सरगरा।

राजस्व ग्राम गुढा विश्नोईयां के खसरा नम्बर 752/17 की रकबा 08.10 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में परिधि नियन्त्रण पट्टी अंकित क्षैत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि गुढा विश्नोईयान से कांकाणी जाने वाली रोड़ से मोगड़ा जाने वाली सड़क की लिंक रोड़ पर स्थित है। प्रकरण पूर्व जोन के प्रस्ताव संख्या 72 पर समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वै़द्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि की नियमानुसार तरमीम नहीं हैं एवं नियमानुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होता है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रार्थी से तरमीम सुदा नक्शा प्राप्त किया जावें एवं प्रश्नगत भूमि को पहुंच मार्ग की उपलब्धता के संबंध में जांच कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

उक्त निर्णय से प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

19. राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 34 की रकबा 12.07 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री सुरजाराम पुत्र श्री नैनाराम वगैरह।

राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 34 की रकबा 12.07 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षैत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा नम्बर 35/2 एवं राजस्व ग्राम बासनी बैंदा के खसरा संख्या 37 के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित 40' चौड़ी सड़क से लगते हुए है। उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में दर्शायी सड़क से प्रश्नगत भूमि को पहुॅच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वै़द्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। पत्रावली में तकनिकि रिर्पोट उल्लेखित है। जिसके अनुसार ले–आऊट प्लान निर्धारित मानदण्ड अनुसार है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया की आवेदित भूमि का स्वामित्व वेद्य है एवं अमिन द्वारा ले–आऊट प्लान पर खसरा सीमांकंन प्रमाणित किया गया है। वह तहसीदार द्वारा प्रारुप 7 संलग्न किया गया है। ले–आऊट प्लान अनुमोदन में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अतः समिति द्वारा उपायुक्त व आयोजना शाखा की रिर्पोट के आधार पर **निम्न शर्तो के साथ** ले–आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

- टाऊनसीप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टर से कम) के पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- जोधपुर विकास प्राधिकरणं (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधान तथा राज्य सरकार समय–समय पर जारी प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
- नियमानुसार बाहरी विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होगें।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टयर तक स्वतन्त्र आवासो की योजनाओ में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्लयू.एस./एल.आई.जी. आवासो की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।
- पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओ हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे।

  उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर किया जावें।

20. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 444/12, 443/मीन की रकबा 04.05 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति तुलसी देवी पत्नि श्री हरकाराम।

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 444/12 की रकबा 04.05 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान–2023 में आवासीय अंकित क्षैत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि जयपुर रोड़ से अन्दर जाने वाली लिंक रोड़ पर स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आयोजना शाखा द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण की तकनीकी परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की तकनीकी परीक्षण कर नियमानुसार प्रकरण आगामी ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

जोन – पश्चिम

1. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 75/3 की रकबा 1606.66 वर्गगज भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति पिंकी देवी पत्नि श्री ताराचन्द।

राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 75/3 की रकबा 1606.66 वर्गगज भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में दिनांक 08.12.2006 को ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 75 के कई भाग कर ले–आउट प्लान अनुमोदित/सर्टिफाईड है। जिसमें पूर्व में अन्य एकल भूखण्ड के पट्टा विलेख जारी है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित ले–आऊट प्लान अनुसार जिसके आधार पर पट्टे जारी किये गये है। पुनः एकल पट्टे का ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किया जाने का ओचित्य स्पष्ट नहीं है अतः प्रकरण को अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित ले–आऊट प्लान अनुसार कार्यवाही की जानी हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया है।

2. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 75/10 की रकबा 1511 वर्गगज, भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमति दाखू देवी पत्नि श्री घीसाराम।

राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 75/10 की रकबा 1511 वर्गगज भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में दिनांक 08.12.2006 को ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 75 के कई भाग कर ले–आउट प्लान अनुमोदित/सर्टिफाईड है। जिसमें पूर्व में अन्य एकल भूखण्ड के पट्टा विलेख जारी है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित ले–आऊट प्लान अनुसार जिसके आधार पर पट्टे जारी किये गये है। पुनः एकल पट्टे का ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किया जाने का ओचित्य स्पष्ट नहीं है अतः प्रकरण को अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित ले–आऊट प्लान अनुसार कार्यवाही की जानी हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया है।

3. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 75/6 की 1583 वर्गगज भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमति पिंकी पत्नि श्री ताराचन्द ।

राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 75/6 की 1583 वर्गगज भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु ले–आउट प्लान अनुनोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में दिनांक 08.12.2006 को ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 75 के कई भाग कर ले–आउट प्लान अनुमोदित/सर्टिफाईड है। जिसमें पूर्व में अन्य एकल भूखण्ड के पट्टा विलेख जारी है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित ले–आऊट प्लान अनुसार जिसके आधार पर पट्टे जारी किये गये है। पुनः एकल पट्टे का ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किया जाने का ओचित्य स्पष्ट नहीं है अतः प्रकरण को अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार प्रकरण में पूर्व में अनुमोदित ले–आऊट प्लान अनुसार कार्यवाही की जानी हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया है।

4. राजस्व ग्राम गैंवा के खसरा नम्बर 316, 318, 319, 320, 321 की रकबा 2.15.15 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री दौलतमल सिंघवी एच.यू.एफ. कर्ता श्री दौलतमल पुत्र श्री मानमल सिंघवी।

राजस्व ग्राम गैंवा के खसरा नम्बर 316, 318, 319, 320, 321 की रकबा 2.15.15 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण पश्चिम जोन के प्रस्ताव संख्या 6 पर समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2023 में परिधि नियन्त्रण पट्टी (हिली एवं रोकी) प्रयोजनार्थ क्षैत्र में आरक्षित है। मौके पर

आवेधित भूमि को 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं हो रहा है। तथा मौके पर फ्रन्ट व बैक में अवैध निर्माण किया गया है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण में निर्धारित पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं अवैध निर्माण किये जाने के कारण प्रकरण निरस्त किया जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

5. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 148–ए की रकबा 12 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री रामरतन, श्री श्यामलाल वगैरह।

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 148–ए की रकबा 12 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार मुख्य सड़क का मार्गाधिकार अथार्त सड़क के मध्य से 100 फीट छोड़ ने के उपरान्त 100 फीट गहराई के व्यवसायिक भू उपयोग उपरान्त आवासीय प्रयोजनार्थ क्षैत्र में आरक्षित है। आवेदित भूमि पाल रोड़ पर स्थित है। जिसकी चौड़ाई 200' पर स्थित है। जिस से आवेदित भूमि को पहुँच उपलब्ध होती है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया की प्रार्थी से मास्टर प्लान के भू उपयोग अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें। उक्त निर्णय से आवेदक को सूचित करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।

6. राजस्व ग्राम गैंवा के खसरा नम्बर 321 की रकबा 4.11 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री लीला देवी पत्नि श्री जुगलकिशोर जी।

राजस्व ग्राम गैंवा के खसरा नम्बर 321 की रकबा 4.11 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2023 में परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षैत्र में आरक्षित है। आवेदित भूमि को मौके पर लगभग 25 फीट पहुँच मार्ग ही उपलब्ध होता है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को नियमानुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 102 की रकबा 1333.33 वर्गगज भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री रूपाराम पुत्र श्री शिवनाथराम जी।

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 102 की रकबा 1333.33 वर्गगज भूमि पर गैस गोदाम प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण पश्चिम जोन के प्रस्ताव संख्या 28 पर समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2023 में परिधि

नियन्त्रण पट्टी क्षैत्र में आरक्षित है। प्रकरण में प्रार्थी को भण्डारण क्षमता के संबंध में पत्र जारी किया हुआ है किन्तु प्रार्थी से आदिनांक तक इस संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण में पुनः प्रार्थी को पत्र जारी करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।

8. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 219/2/46 की रकबा 10.6 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री नदीम मेहर पुत्र श्री नजीर खां।

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 219/2/46 की रकबा 10.6 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2023 में मुख्य पाल से चौखा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट अथार्थ 100 फीट छोड़ कर 75 फीट वृक्षारोपण पट्टी छोड़कर शेष आवासीय प्रयोजनार्थ क्षैत्र में आरक्षित है। मौके पर सड़क के मध्य से 100 फीट छोड़ने के उपरान्त दुकाने निर्मित है एवं मौके पर व्यवसायक गतिविधिया संचालित है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौके पर व्यवसायिक गतिविधिया संचालित होने व फ्रन्ट पर दुकाने निर्मित होने के कारण ले–आऊट प्लान अनुमोदन नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण में प्रार्थी को सूचित करने एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

9. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 24, 25/1, 25/5 की रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री माधोदास वगैरह।

राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 24, 25/1, 25/5 की रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गई हैं। आवेदित भूमि बाईपास (पाल, चौपासनी, चौखा) रोड़ से चौपासनी गांव जाने वाली रोड़ पर स्थित है जिसकी चौड़ाई मास्टर प्लान में 100 फीट दर्शायी गयी है। मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित है। मौके पर सड़क मार्गाधिकार में निर्माण किया गया है तथा प्रेषित ले–आऊट प्लान अनुसार की मुख्य सड़क पर दर्शित भूखण्डो पर निर्माण है। जिस से आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग भी प्रभावित होता है।

अतः समिति द्वारा सड़क मार्गाधिकार में निर्माण होने के कारण ले–आऊट प्लान अनुमोदित नहीं करने का निर्णय लिया। प्रकरण में प्रार्थी को सूचित करने एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

10. राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा नम्बर 354, 357/4 की रकबा 10 बीघा भूमि पर रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री अशोक पंवार पुत्र श्री लक्ष्मण जी

राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा नम्बर 354, 357/4 की रकबा 10 बीघा भूमि पर परिधि नियंत्रण पट्टी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा रिसोर्ट प्रस्तावित किया गया है। आवेदित भूमि गंगाणा से झंवर जाने वाली रोड़ पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट है। आवेदित भूमि

मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आरक्षित है। मौके पर रिसोर्ट का निर्माण किया हुआ है। आवेदक द्वारा कुल स्वामित्व की भूमि में से 10 बीघा भूमि का ही आवेदन किया गया है। जब की मौके पर सम्पर्ण भूमि पर चार दिवारी निर्मित कर रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। मौके पर एक गेट उस भूमि पर बनाया गया है जिसका आवेदन ही नहीं किया गया है। मौके पर भवन विनियम 2013 के मानदण्ड अनुसार सैट बैक नहीं छोड़ा गया है। मौके पर आवेदित भूमि में से इलैक्ट्रिक लाईन निकल रही है जिसको ले–आऊट प्लान पर नहीं दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदित नहीं करने का निर्णय लिया। प्रकरण में प्रार्थी को सूचित करने एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

<u>जोन – उत्तर</u>

1. राजस्व ग्राम बासनी कडवड के खसरा नम्बर 108, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/1/1 वगैराह की रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमती यशोदा पत्नी श्री शैतानराम ।

राजस्व ग्राम बासनी कडवड के खसरा नम्बर 108, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/1/1 वगैराह की रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गयी है। आवेदित भूमि फलोदी–जोधपुर की मैन लिंक रोड़ पर स्थित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके पर प्रश्नगत भूमि तक ले–आऊट प्लान दर्शाये अनुसार एप्रोच रोड़ बासनी कडवड ग्रामीण मार्ग ग्रेवल सड़क से 40 फीट ग्रेवल डालकर जेडीए के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 111 में बनाई हुई है, जिसमें रास्ते की तरमीम नहीं हुई है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में नियमानुसार पहुंच मार्ग प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण निर्धारित पहुंच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर किया जावें।

2. राजस्व ग्राम बोरावास के खसरा नम्बर 171 की रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री दुर्गाराम पुत्र श्री रामुराम।

राजस्व ग्राम बोरावास के खसरा नम्बर 171 की रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गयी है। आवेदित भूमि खोखरिया से जाजीवाल जाने वाली रोड़ पर स्थित है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके पर 30 फीट चौड़ाई में ग्रेवल सड़क बनाई हुई है, जबकि ले–आऊट मे 60 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है। इस प्रकार मौके पर हुए विकास कार्य एवं ले–आऊट प्लान में दर्शाये गए विकास कार्य में भिन्नता है।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र लिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया है।

3. राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा नम्बर 138/125 की रकबा 6 बीघा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री नानक जी।

राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा नम्बर 138/125 की रकबा 6 बीघा भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गयी है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विधिवत बंटवारा एवं तरमीम नहीं करवाई गई है, जिस कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में विधिवत बंटवारा एवं तरमीम करवाये जाने हेतु प्रार्थी को पत्र जारी किये जाने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

4. राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा नम्बर 138/125 की रकबा 6 बीघा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती सीमा एवं श्रीमती इन्द्रा

राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा नम्बर 138/125 की रकबा 6 बीघा भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गयी है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विधिवत बंटवारा एवं तरमीम नहीं करवाई गई है, जिस कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में विधिवत बंटवारा एवं तरमीम करवाये जाने हेतु प्रार्थी को पत्र जारी किये जाने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

5. राजस्व ग्राम मण्डोर–द्वितीय के खसरा नम्बर 689 की रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री जयनारायण पुत्र श्री गोपीकिशन।

राजस्व ग्राम मण्डोर–द्वितीय के खसरा नम्बर 689 की रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ योजना

प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत भूमि गोकूलजी की प्याऊ से 8 मील जाने वाली सड़क व चैनपुरा से एन.एल.यू. के पीछे से मण्डोर रोड़ पर मिलने वाली दोनो सड़को के मध्य स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले–आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण करने पर आवासीय एवं सड़क क्षेत्र का अनुपात नियमानुसार प्राप्त नहीं होता है। आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत से अधिक प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र लिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया है।

6. राजस्व ग्राम बासनी कडवड के खसरा नम्बर 50/1 की रकबा 10 बीघा भूमि पर फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती कमला पत्नी श्री सुरजाराम।

राजस्व ग्राम बासनी कडवड के खसरा नम्बर 50/1 की रकबा 10 बीघा भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत भूमि बासनी कडवड़ की लिंक रोड़ सड़क पर स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को बासनी कडवड से माणकलाव की तरफ जाने वाली ग्रेवल रोड़ से खसरा नं. 52 गैरमुमकिन आगोर मे से 20 फीट ग्रेवल डालकर एप्रोच ली गई है, जो कि नियमानुसार सुसंगत नहीं है। एवं प्रश्नगत भूमि को अन्य किसी प्रकार से एप्रोच प्राप्त नहीं होती है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को नियमानुसार एप्रोच प्राप्त नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित करने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया है।

7. राजस्व ग्राम बासनी कडवड के खसरा नम्बर 103/1 की रकबा 2 बीघा भूमि पर कृषि आधारित लघु उद्योग प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती कमला पत्नी श्री कुन्दनमल गांधी।

राजस्व ग्राम बासनी कडवड के खसरा नम्बर 103/1 की रकबा 2 बीघा भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित लघु

उद्योग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है। प्रश्नगत भूमि बासनी कडवड़ की लिंक रोड़ सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट निर्धारित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर मूंगफली उद्योग स्थापित किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया की आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में एच.टी. लाईन निकल रही है। अतः इसके सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना उचित होगा।

अतः समिति द्वारा एस.टी. लाईनके सम्बन्ध में कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिर्पोट प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया है।

जोन – दक्षिण

1. राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 465 की रकबा 06.10 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री भींयाराम पुत्र श्री मंगाराम।

राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 465 की रकबा 06.10 बीघा भूमि कॉलेज/शैक्षणिक अंकित क्षेत्र में स्थित है, तत्पश्चात् आवेदित भूमि का भू–उपयोग परितवर्तन जरिये पत्रांक प.37(115/2012) /भूउप/2014 दिनांक 21.11.2014 द्वारा शैक्षणिक से आवासीय रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा का किया हुआ है। प्रश्नगत भूमि बाईपास से बासनी–द्वितीय फैस जाने वाली 100' लिंक रोड पर स्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

प्रकरण के अन्तर्गत भू–उपयोग परिर्वतन कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा का किया गया है। परन्तु आवेदन 6.10 बीघा का ही प्रेषित किया गया है। अतः समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया एवं संपूर्ण भूमि का आवेदन किये जाने पर ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावें। अतः उरोक्त अनुसार उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावें।

2. राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 36/11 की रकबा 6 बिस्वा 8.61 बिस्वान्सी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री विरेन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल।

राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 36/11 की रकबा 6 बिस्वा 8.61 बिस्वान्सी बिस्वान्सी भूमि आवासीय श्रेणी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। वर्तमान में प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं तकनीकी जांच की जानी है एवं उपायुक्त द्वारा भी प्रकरण परीक्षण किया जाना है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

3. **राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 36/11 की रकबा 7 बिस्वा 6.7 बिस्वान्सी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।**
   आवेदक :– श्री महेश गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल।

राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 36/11 की रकबा 7 बिस्वा 6.7 बिस्वान्सी भूमि आवासीय श्रेणी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। वर्तमान में प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं तकनीकी जांच की जानी है एवं उपायुक्त द्वारा भी प्रकरण परीक्षण किया जाना है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

समिति द्वारा प्रकरण के अन्तर्गत प्रकरण की तकनीकी संवीक्षा किये जाने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।

4. **राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 36/11 की रकबा 07 बिस्वा 6.7 बिस्वान्सी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।**
   आवेदक :– श्री विपिन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल।

राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 36/11 की रकबा 07 बिस्वा 6.7 बिस्वान्सी भूमि आवासीय श्रेणी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। वर्तमान में प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं तकनीकी जांच की जानी है एवं उपायुक्त द्वारा भी प्रकरण परीक्षण किया जाना है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

5. **राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 349/2, 349/3 की रकबा 10.05.10 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।**
   आवेदक :– श्री महेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल।

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 349/2, 349/3 की रकबा 10.05.10 बीघा भूमि मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। आवेदित भूमि को एस.एस.डब्लू कैनाल के समान्तर दक्षिण दिशा में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। मौके पर भूमि के दक्षिण से एच.टी.लाईन गुजर रही है। जिसके संबंध में कनिष्ठ अभिन्ता की रिपोर्ट अपेक्षित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के सामने स्थित भूमि पी.एच.ई.डी. विभाग की है। जिससे भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है इस हेतु पी.एच.ई.डी. विभाग से अनापति अपेक्षित है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के क्रम में आवेदक को सूचित किया जावें एवं उपरोक्त पूर्ति के उपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

6. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 175/2, 175/6 वगैरह की रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा 15 बिस्वान्सी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री विनोद इन्फ्राडवलपर्स लि. जरिये डायरेक्टर श्री विनोद सिंघवी पुत्र श्री उम्मेदमल सिंघवी।

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 175/2, 175/6 वगैरह की रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा 15 बिस्वान्सी भूमि आवासीय श्रेणी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं तकनीकी जांच की जानी है एवं उपायुक्त द्वारा भी प्रकरण परीक्षण किया जाना है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

7. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 122/1 की रकबा 0.11.13 बीघा भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति मीरा देवी पत्नि स्व. श्री कालूराम वगैरह।

राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 122/1 की रकबा 0.11.13 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड प्रस्तावित किया गया हैं। वर्तमान में प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं तकनीकी जांच की जानी है एवं उपायुक्त द्वारा भी प्रकरण परीक्षण किया जाना है। आवेदक के स्तर से भी पूर्ति अपेक्षित है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जांच/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

8. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 268/4, 268/8, 268/9 की रकबा 01.03.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति मांगी देवी पत्नि श्री अणदाराम चौधरी वगैरह।

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 268/4, 268/8, वगैरह की रकबा 01.03.0 बीघा भूमि वाणिज्यिक श्रेणी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा व्यवसयायिक प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। प्रश्नगत भूमि पाल–सांगरिया विद्यमान बाईपास रोड़ पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित है। जिसके उपरान्त 75 फीट वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन उपरान्त निम्न शर्तो वाणिज्यक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का ले–आऊट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

- प्रकरण में पाल–सांगरिया बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किया जाना होगा।

- प्राधिकरण के हक में निःशुल्क भूमि समर्पित किये जाने के उपरान्त सड़क के दोनों तरफ 75'– 75' की वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आउट प्लान स्वीकृत किया गया।
- टाऊन पोलिसी 2010 (10 हैक्टर से कम) के पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- नियमानुसार बाहरी विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होगें।
- राज्य सरकार के पपित्र दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के हक में जारी किया जा सकता हैं, परन्तु उक्त वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा।
- जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे।

उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 157 की रकबा 2 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री मेघराज।

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 157 की रकबा 2 बीघा भूमि आवासीय श्रेणी अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। वर्तमान में प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं तकनीकी जांच की जानी है एवं उपायुक्त द्वारा भी प्रकरण परीक्षण किया जाना है।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

10. राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा नम्बर 1606/1096 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री मोहम्मद रमजान पुत्र श्री मोहम्मद शफी, जोधपुर।

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 416 मीन की रकबा 4 बीघा भूमि औद्योगिक अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। प्रश्नगत भूमि पाल से सालावास जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त प्रकरण पूर्व में दिनांक 22.01.2016 को ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें आवेदित भूमि पर निर्माण कार्य होने के कारण निरस्त किया गया। आवेदक द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी शपथ प्रस्तुत करने तैयार है कि प्रार्थी उक्त भूखण्ड का औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् औद्योगिक प्रयोजनार्थ रिको के नियमानुसार निर्माण कार्य कर प्रयोजन किया जावेगा। अतः समिति द्वारा प्रार्थी के आवेदक के क्रम में पुनः कनिष्ठ अभियन्ता से वर्तमान मौका रिर्पोट प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा प्रकरण के अन्तर्गत पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।

11. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45/11 की रकबा 12 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री रामकरण बेनीवाल पुत्र श्री जगमालराम बेनीवाल

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45/11 की रकबा 12 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान–2023 में आवेदित भूमि अधिकांश भाग होटल जोन में तथा कुछ भाग आवासीय श्रेणी में ही अंकित है। प्रश्नगत भूमि के समीपीय खसरान् की भूमि के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में उपरोक्तानुसार समीपीय खसरान् के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये, उक्त मार्गदर्शन उपरान्त ही प्रकरण में ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

12. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45/10 की रकबा 11 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री किशनाराम।

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45/10 की रकबा 11 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान–2023 में आवेदित भूमि अधिकांश भाग आवासीय तथा कुछ भाग होटल जोन श्रेणी में ही अंकित है। प्रश्नगत भूमि के समीपीय खसरान् की भूमि के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में उपरोक्तानुसार समीपीय खसरान् के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये, उक्त मार्गदर्शन उपरान्त ही प्रकरण में ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

13. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 268/3 वगैरह की रकबा 06.03 बीघा भूमि पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– जोधपुर मोटर पार्टस डिलर्स एवं वर्कशॉप समिति जरिये श्री भूरचन्द पुत्र श्री रामलाल धारीवाल व श्री धनराज पुत्र श्री लालचंद

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 268/3 वगैरह की रकबा 06.03 बीघा भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान–2023 में आवेदित भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही अंकित है। प्रकरण में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मानिचत्र के मानदण्ड अनुसार, प्रकरण की तकनीकी जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

14. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 416 मीन की रकबा 4 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमति उर्मिला चौहान पत्नि श्री महेन्द्र सिंह चौहान।

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 416 मीन की रकबा 4 बीघा भूमि औद्योगिक अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। प्रश्नगत भूमि पाल से सालावास जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है। जिसकी मौके पर चौड़ाई 20 फीट है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

समिति द्वारा प्रकरण के अन्तर्गत समीपीय खसरान् की जांच कर आवेदित भूमि के सम्बन्ध में पहुंच मार्ग की उपलब्धता बाबत् रिपोर्ट किये जाने हेतु आयोजना शाखा एवं जोन शाखा को निर्देशित किया गया। इस अतिरिक्त पूर्व में यदि उक्त सड़क पर कोई प्ररकण अनुमोदित किये गये हो तो उसमें रखे सड़क मार्गाधिकार बाबत् टिप्पणी आगामी बैठक में प्रेषित किया जावें।

15. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1572/1090 की रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री घनश्याम ओझा पुत्र श्री रामपाल ओझा, 12, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1572/1090 की रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि औद्योगिक अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। प्रश्नगत भूमि सांगरिया की सीमा से लगता हुआ है। आवेदित भूमि को 60 फीट चौड़ी पहुँच मार्ग उपलब्ध है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आवेदक द्वारा किस प्रकार का उद्योग लगाया जावेंगा इस का उल्लेख नहीं किया गया है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया की पूर्व औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का ले–आऊट अनुमोदन कर पट्टे जारी किये गये है। मौके पर दो रूम व गार्डरूम निर्मित है उक्त निर्माण सैट बैक में नहीं होने बाबत् सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार सुनिश्चिता की जाकर निम्न शर्तो के अध्यधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

- आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। इस हेतु सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जाकर शेष भूमि का पट्टा जारी किया जावें।
- आवेदित भूमि पर प्रतिबंधित औद्योगिक गतिविधियां यथा – हैजार्डस् इत्यादि नहीं की जा सकेगी।
- टाऊन पोलिसी 2010 (10 हैक्टर से कम) के पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- नियमानुसार बाहरी विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होगें।
- उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे।

उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 178/11 की रकबा 03 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री चुतरराम पुत्र श्री मांगीलाल, जोधपुर।

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 178/11 की रकबा 03 बीघा भूमि मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित की गयी है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित उपायुक्त महोदय एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि में से मौके पर एच.टी.लाईन गुजर रही है। जिसके क्षमता के संबंध में पुनः कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट लिया जाना अपेक्षित है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के संबंध में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार सुरक्षात्मक दुरी छोड़ते हुये संशोधित ले–आऊट प्लान प्राप्त किया जावें। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे। इस के अतिरिक्त पूर्व में आवेदित भूमि के समीप अनुमोदित प्रकरणों में सड़क मार्गाधिकार बाबत् टिप्पणी प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

17. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740, 1049/740 की रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमति सीमा पारख पत्नि श्री सुशील पारख, जोधपुर।

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740, 1049/740 की रकबा 17 बिस्वा भूमि औद्योगिक अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तावित किया गया। प्रश्नगत भूमि सांगरिया की सीमा से लगता हुआ है। आवेदित भूमि को 60 फीट चौड़ी पहुँच मार्ग उपलब्ध है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आवेदक द्वारा किस प्रकार का उद्योग लगाया जावेंगा इस का उल्लेख नहीं किया गया है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया की पूर्व औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का ले–आऊट अनुमोदन कर पट्टे जारी किये गये है। मौके पर टिन शेड फैक्ट्री निर्मित है।

अतः समिति द्वारा निम्न शर्तो के अध्यधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

- आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। इस हेतु सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जाकर शेष भूमि का पट्टा जारी किया जावें।
- आवेदित भूमि पर प्रतिबंधित औद्योगिक गतिविधियां यथा – हैजार्डस् इत्यादि नहीं की जा सकेगी।

- टाऊन पोलिसी 2010 (10 हैक्टर से कम) के पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- नियमानुसार बाहरी विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होगें।
- उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे

उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावे।

18. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740, 1049/740 की रकबा 17 बिस्वा भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :– श्री सुशील पारख पुत्र श्री विद्वान सिंह पारख,

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740, 1049/740 की रकबा 17 बिस्वा भूमि औद्योगिक अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तावित किया गया। प्रश्नगत भूमि सांगरिया की सीमा से लगता हुआ है। आवेदित भूमि को 60 फीट चौड़ी पहुँच मार्ग उपलब्ध है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। आवेदक द्वारा किस प्रकार का उद्योग लगाया जावेंगा इस का उल्लेख नहीं किया गया है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया की पूर्व औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का ले–आऊट अनुमोदन कर पट्टे जारी किये गये है। मौके पर टिन शेड व ऑफिस दो कमरे निर्मित है उक्त निर्माण सैट बैक में नहीं होने बाबत् सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार सुनिश्चिता की जाकर निम्न शर्तों के अध्यधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

- आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। इस हेतु सड़क के मध्य से 30 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जाकर शेष भूमि का पट्टा जारी किया जावें।
- आवेदित भूमि पर प्रतिबंधित औद्योगिक गतिविधियां यथा – हैजार्डस् इत्यादि नहीं की जा सकेगी।
- टाऊन पोलिसी 2010 (10 हैक्टर से कम) के पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- नियमानुसार बाहरी विकास शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होगें।
- उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति

द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावें।

उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर किया जावें।

अन्य बिन्दु – निम्न बिन्दुओं पर भी विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये।

1. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए एवं तत्कालीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुशंषा और अधिनियम 2012 के अनुसार ले–आउट अनुमोदन से पूर्व 90–ए के आदेश जारी करने का प्रावधान हैं। इस संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रीमियम राशि जमा करायी जाकर विज्ञप्ति व अन्य वांछित रिर्पोट आदि प्राप्त की जानी हैं परन्तु 90–ए में अंतिम आदेश ले–आउट अनुमोदन के पश्चात जारी किये जाने हैं क्योंकि 90–ए कार्यवाही पूर्व में करने पर इसके उपरांत कई बार तकनीकी आधार पर ले–आउट अनुमोदन नहीं हो पाता है व 90–ए की कार्यवाही हो जाती हैं। अतः उपरोक्त कार्यवाही करने एवं ले–आउट जारी करने से पूर्व 90–ए की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जाये।

2. समिति द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने के उपरान्त नियमानुसार देय शुल्क व अन्य राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जोन उपायुक्त द्वारा जारी किये जावें। राशि जमा करने के उपरांत में ले–आउट प्लान जारी करने की कार्यवाही नियोजन शाखा द्वारा की जावें।

3. 72 गाँव से बाहर के प्रकरणों मे राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक लम्बित रखा गया हैं। अतः इस संबंध में राज्य सरकार की पुनः निवेदन किया जावें।

4. जोन द्वारा लम्बित प्रकरणों की तैयार सूची के आधार पर प्रकरणवार निर्णय लिया गया हैं परन्तु इसके अतिरिक्त भी यदि कोई प्रकरण लम्बित हो तो इसकी सूची तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। इस संबंध में संबंधित DA से लिखित में रिपोर्ट प्राप्त की जावें।

5. नियोजन शाखा में भी यदि अन्य प्रकरण लम्बित प्रकरणों की सूची तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। इस संबंध में संबंधित DA से लिखित में रिपोर्ट प्राप्त की जावें।

6. बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये यदि आवेदको के स्तर से कार्यवाडी अपेक्षित हो तो कार्यवाही विवरण जारी होने के उपरान्त 7 दिवस में सूचित किया जावे।

7. जिन प्रकरणों में आवेदित उपयोग मास्टर प्लान से भिन्न हैं उन प्रकरणों को सचिव स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आवेदक को सूचित किया जावे।

8. ले–आउट प्लान में संशोधन के प्रकरणों की जोनवार सूची तैयार कर मौका निरीक्षण कर प्रथक से बैठक आयोजित की जावें।

9. 90 ए के प्रकरणो में ले–आऊट की चार प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती है परन्तु राजस्व शाखा द्वारा एक ही ले–आऊट खसरा सीमांकंन प्रमाणित किया जाता है उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि चारो प्रतियों पर सीमांकन करने पर अन्तर होने की सभावना है। अतः एक प्रति पर सीमांकंन प्रमाणित होने के उपरान्त उसकी चार प्रतिया करवाया जाना उचित होगा। इस पर उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु चारो प्रतियों पर आवेदक एवं अमीन/पटवारी के मूल हस्ताक्षर करवाये जावें।

10.LPC की आगामी बैठक 23.08.2016 को आयोजित किया जावें इस हेतु 7 दिवस पूर्व ऐजेन्डा जारी कर दिया जावें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उपायुक्त (पूर्व)	उपायुक्त (पश्चिम)	उपायुक्त (उत्तर)	उपायुक्त (दक्षिण)
निदेशक अभियान्त्रिकी	निदेशक आयोजना	सचिव	आयुक्त

क्रमांकः F-37/Dir(P)/LOP/2016/ 773-777 दिनांक :- 08/8/16

01.निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02.वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03.निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04.उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, एन.आई.सी., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

5/8/16
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर